



म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासनका उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880

रजिस्टर्डआफिस: ब्लाकनं. 2 शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर(म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041

फैक्स:(0761) 2664450, e-mail: ce.ca@mptransco.nic.in,



C.E. (Procurement)
M.P.P.T.G.L., Jabalpur

03 JUL 2017

R. No. 9638

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/स्था/ 2056
आदेश

दिनांक 01.07.2017

म.प्र.शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-6/2017/नियम/चार दिनांक 27 जून, 2017 के अनुक्रम में एवं म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/809 दिनांक 08.03.2017 के तारतम्य में निर्णय लिया गया है कि सभी पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों, जिसमें म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ म.प्र. राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को 132% की दर से मंहगाई राहत देय है। इस तारतम्य में कम्पनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 जनवरी 2017 से निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत देय होगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01.01.2017	पेंशन/परिवार पेंशन का 136%

- इस आदेश के उपरांत बढ़ी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान माह जुलाई 2017 की पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं माह जनवरी 2017 से जून 2017 की अवधि की अंतर राशि (एरियर्स) का भुगतान एकमुश्त माह जुलाई 2017 की देय पेंशन के साथ किया जावेगा।
- मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा।
- पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (before commutation) की पेंशन पर होगी।

आदेशानुसार


मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)


दिनांक 01-07-2017

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/स्था/ 2047
प्रतिलिपि-

- 01 अवर सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 02 कार्यपालक निदेशक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि/म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
- 03 कार्यपालक निदेशक (सीआरए)/(मा.संसा.वि.सं.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 04 मुख्य अभियंता (टी.एण्ड सी.)/(प्रोक्योरमेंट)/(मानीटरिंग) (योजना एवं रूपांकन)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधारण एवं निरीक्षण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 05 मुख्य अभियंता (कार्य), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 06 मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन-पूर्व क्षेत्र)/(ट्रांसमिशन-पश्चिम क्षेत्र)/(ट्रांसमिशन-मध्य क्षेत्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/इंदौर/भोपाल।
- 07 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।
- 08 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र. मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., भोपाल/इंदौर।
- 09 मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 10 अतिरिक्त मुख्य अभियंता(आई.टी.)/(सिविल-ट्रांस)/(ओ.एण्ड एम.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 11 अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड सी.)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधारण)/400 के.व्ही. उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि.,
- 12 संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 13 वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
- 14 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.), महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, प्लॉट नं. सी-19, 'E' ब्लॉक, प्रकाशगंगा, 7वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई-400051.
- 15 अति. महाप्रबंधक (मा.सा.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, रायपुर।
- 16 कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/(संचार)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधारण)/(कर्मशाला)/(400 के. व्ही. परीक्षण)/(उप भार प्रेषण केन्द्र), संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- 17 उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 18 कल्याण अधिकारी अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 19 निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 20 क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
- 21 वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/(के.ले.ई.)/म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड/म.प्र.पावर मैनेजमेंट/जनरेटिंग कं. लि.,
- 22 वेब मास्टर।

टीप :- सरल क्रमांक 2, 7 एवं 8 के लिये।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियंता-एक
कार्या. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)